पत्रावली संख्या 4981
पंजिका संख्या 29my
दिनांक 30/10/23

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220002, ई.मेल : dfohld@gmail.com

पत्रांक 1032 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक 25-10-2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

विषयः– **जनपद–नैनीताल के अन्तर्गत विकासखण्ड हल्द्वानी के ग्राम विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के (कि0मी0 0.00 देवलामल्ला से कि0मी0 0.200) तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.91 है0 (पूर्व में 1.53 है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (online no. FP/ UK /ROAD /20099 / 2016)**

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक– 8बी/यू0सी0पी0/06/215/2016/एफ0सी0/900 दिनांक 10.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालन में शर्त संख्या–3 प्रतिपूरक वनीकरणः– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु 1820 पौध का रोपण कार्य प्रस्ताव के अनुसार शारदा रेंज के अन्तर्गत ककराली कक्ष सं0–अ के अन्तर्गत 1.82 है0 अवनत वन भूमि में किया जायेगा एवं 10 वर्षों का रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशी @ CA Rate for 1.82 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी।

उक्त बिन्दु के अनुपालन में प्रमुख वन संरक्षक (HOFF) उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–1459/12–1 दिनांक 01.07.2021 के द्वारा वर्ष 2020–21 से वर्ष 2023–24 तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दरों को शासनादेश दिनांक 30.11.1989 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार पुनः निर्धारण किया गया है। जिसके अनुसार उक्त परियोजना हेतु 10 वर्षों के अनुरक्षण के लिए 1.82 है0 में वित्तीय वर्ष 2023–24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर 4,48,791.00 रू0/है0 के अनुसार रू0 8,16,799.62 या 8,16,800.00 (आठ लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) की धनराशि का आंकलन किया गया है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

कसं0	वित्तीय वर्ष	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर (रू0 में)	उक्त परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन भूमि (है0 में)	आंकलित धनराशी (रू0 में)
1	2023–24	4,48,791.00	1.82	**8,16,799.62 या 8,16,800.00**

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–5 शुद्ध वर्तमान मूल्य

क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्याः 202 / 1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (pt. 2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006– एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ. सी. दिनांक– 05.02.2009 तथा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र 5–3/2011–एफ0सी0 (Vol-I) दिनांक 06.01.2022 द्वारा जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण के प्रस्ताव के तहत 0.91 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

AE II/Cashier/Aman 30/10/23
R.No-4981/29my/30/10/23

उक्त बिन्दु के अनुसार 0.91 है0 वन भूमि हेतु रु 9,57,780.00/– की दर से धनराशि आंकलित की गयी है। जिसका भुगतान आपके द्वारा किया जाना आपेक्षित है।

S.N.	Eco Class	Open Forest (In Rs.)	उक्त परियोजना हेतु वन भूमि (है0 में)	आंकलित धनराशी (रू0 में)
1	3	9,57,780.00	0.91	8,71,579.80 या 8,71,580.00

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अन्य समस्त बिन्दुओं का अनुपालन कर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आप प्रतिपूरक वनीकरण तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य कैम्पा मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक 1032 /उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(बाबू लाल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी